

Gazette



२३५

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARYभाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्रधानमंत्री से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 274] नई दिल्ली, सत्रिवार, जुलाई 7, 1990/आषाढ़ 16, 1912  
No. 274] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1990/ASADHA 16, 1912

इस भाग में भिन्न एवं संख्या वाली हो जिससे कि यह अलग संकलन के साथ संरक्षित रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विदेश मंत्रालय

बाह्य सूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1990

मा. का. नि. (622 अ.)—पासपोर्ट अधिसिव्यम्, 1967 (1967 का 16) नं.

24. द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम को शीर्ष संगोष्ठित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. इन नियमों का पासपोर्ट (पहला नियम) नियम, 1990 कहा जाए।

2. ये 16 अगस्त, 1990 से प्रभावी होंगे।

1794 GI/90

(1)

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY. [PART II—REG.]

3. प्राप्तेई विषय, 1980 में नियम 12 के अनुसार (1) के लागत वर तिमाही 2  
उप नियम प्रतिस्थापित निया जाएगा, कहते हैं—

"(1) यह सरकारी पासपोर्ट उसके बारी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि  
के लिए प्रभावी रहेगा।"

[संख्या VI/40/24/90]

सचिव, अमृतन सदिक (सी.पी.वी.)

पाद नियमी :

मुख्य नियम या का मि. नं. 691 (इ) दिनांक 11-12-1980 द्वारा प्रकाशित  
हिस्से एवं ये विवेच भारत ने विभागित द्वारा संशोधित निया जाया था।

1. गा.का.वि. (इ) 59(इ) दिनांक 7-9-1981
2. गा.का.मि. (इ) 494(इ) दिनांक 16-5-1981
3. गा.का.वि. (इ) 469(इ) दिनांक 24-6-1982
4. गा.का.वि. (इ) 323(इ) दिनांक 12-4-1983
5. गा.का.वि. (इ) 482(इ) दिनांक 13-6-1983
6. गा.का.वि. (इ) 860 (इ) दिनांक 1-11-1985
7. गा.का.वि. (इ) 345 (इ) दिनांक 29-3-1985
8. गा.का.वि. (इ) 857 (इ) दिनांक 13-10-1987
9. गा.का.वि. (इ) 84 (इ) दिनांक 11-02-1988
10. गा.का.वि. (इ) 1155 (इ) दिनांक 21-11-1988

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1990

G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the  
Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the  
following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely :—

- (1) These rules may be called the Passports (1st Amendment) Rules, 1990.
- (2) They shall come into force from 16th August, 1990.

26

In the Passports Rules, 1980 for sub-rule (1) of rule 12, the following sub-  
rule shall be substituted, namely:-

(1) An ordinary passport shall continue in force for a period of five  
years from the date of its issue."

[No. VI/401/24/]

SHASHANK, Lt. Secy. (C)

FOOT NOTE:—The Principal rules were published vide GSR No. 691(E)  
dated 11-12-1980, subsequently emended by

1. GSR(E) 50(E) dated 7-2-1981.
2. GSR(E) 494(E) dated 16-6-1981.
3. GSR(E) 469(E) dated 24-6-1982.
4. GSR(E) 325(E) dated 12-4-1983.
5. GSR(E) 482(E) dated 19-6-1983.
6. GSR(E) 860(E) dated 1-11-1985.
7. GSR(E) 345(E) dated 29-3-1985.
8. GSR(E) 857(E) dated 13-10-1987.
9. GSR(E) 84(E) dated 11-2-1988.
10. GSR(E) 1155(E) dated 21-11-1988.